

**—: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना :—**

**—: स्वघोषणा पत्र :—**

मैं श्री/श्रीमति/कु. .... पुत्र/पुत्री/पत्नि/पति .....  
ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... का निवासी हूँ। मैं राजस्व ग्राम  
..... में खसरा संख्या ..... में रकबा ..... भूमिधारक हूँ। उक्त भूमि 01 फरवरी  
2019 से पहले मेरे नाम पर दर्ज है अथवा दिनांक: .....को जरीये विरासत दर्ज हुई है।

- मेरे परिवार में अन्य किसी सदस्य द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं लिया जा रहा है।
- मेरे द्वारा वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई संवैधानिक पद धारित नहीं किया है।
- मेरे परिवार का कोई सदस्य (जनआधार में सम्मिलित सदस्य) सरकारी सेवा में अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है।
- प्रतिमाह दस हजार रुपये से अधिक पेंशनभोगी नहीं हूँ।
- आवेदक आयकर दाता नहीं हूँ।
- व्यवसायिक संस्थाओं में कार्यरत कार्मिक जैसे: डॉक्टर/इन्जीनियर/अधिवक्ता/सी.ए. /आर्किटेक्ट नहीं हूँ।
- मेरे द्वारा भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जा रहा है।

यह घोषणा करता हूँ कि मैंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियम अनुसार ही आवेदन किया है तथा इस योजना की सभी पात्रताओं को पूर्ण करता हूँ। आवेदन सही नहीं पाये जाने अथवा जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है तथा मेरे खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत जमा राशि का पुनर्भरण किया जावेगा जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

**आधार नम्बर :-** .....

**जनआधार नम्बर :-** .....

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

आवेदक का नाम :

**नोट:-** आवेदन पत्र के साथ आवेदन के आधार कार्ड, जमाबंदी, जन आधार एवं जन आधार में सम्मिलित सभी बालिग सदस्यों के आधार कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें।

**—: हल्का पटवारी रिपोर्ट :—**

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नि  
श्री..... का राजस्व ग्राम..... पटवार मण्डल..... तहसील...  
..... में खसरा संख्या..... में रकबा .....भूमि दर्ज है। आवेदन की जांच की गई।

- ✓ उक्त भूमि 01 फरवरी 2019 से पहले आवेदक के नाम पर दर्ज है अथवा दिनांक: .....को जरीये विरासत दर्ज हुई है।
- ✓ वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई संवैधानिक पद धारित नहीं किया है।
- ✓ आवेदक अथवा परिवार का कोई सदस्य (जनआधार में सम्मिलित सदस्य) सरकारी सेवा में अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है।
- ✓ प्रतिमाह दस हजार रुपये से अधिक पेंशनभोगी नहीं है।
- ✓ आवेदक आयकर दाता नहीं है।
- ✓ व्यवसायिक संस्थाओं में कार्यरत कार्मिक जैसे: डॉक्टर/इन्जीनियर/अधिवक्ता/सी.ए. /आर्किटेक्ट नहीं है।
- ✓ इनके द्वारा भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जा रहा है।

आवेदक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की उपर्युक्त एवं अन्य सभी पात्रताओं को पूर्ण करते हैं। इनका आवेदन सत्यापित करने की अनुशंसा की जाती है।

**हस्ताक्षर पटवारी मय मोहर**  
**पटवार मण्डल.....**